भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2966 का उत्तर

सिल्वरलाइन परियोजना

2966. डॉ. शशि थरूर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) द्वारा सिल्वरलाइन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की कोई समीक्षा की है क्योंकि यह पाया गया है कि भारतीय रेल द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप इसमें संशोधन की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केआरडीसीएल द्वारा सिल्वरलाइन डीपीआर तैयार करने और सर्वेक्षण, परामर्श, प्रशासनिक व्यय और सीमा निर्धारण सहित संबंधित प्रारंभिक कार्यकलापों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यय का उपयोग किसी संशोधित परियोजना के लिए किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सिल्वरलाइन डीपीआर में संशोधन की सलाह देने के बाद रेल मंत्रालय, केआरडीसीएल और केरल राज्य सरकार के बीच कोई बैठक या परामर्श किया गया है और यदि हां, तो इसकी तारीखें, प्रतिभागी और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): केरल रेल विकास निगम लिमिटेड, जो केरल राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा केरल में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक सिल्वर लाइन सेमी-हाई स्पीड रेल विकास के लिए चिह्नित की गई थी। सर्वेक्षण के पश्चात, केआरडीसीएल ने रेल मंत्रालय को इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमादेन हेतु प्रस्तुत की थी। प्रस्तावित

संरेखण भारतीय रेल लाइनों के समानांतर और सन्निकटता से गुजर रहा था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कई खामियां थीं। इसलिए, केआरडीसीएल को दक्षिण रेलवे द्वारा उन खामियों को दूर करने और संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी गई थी।

हाल ही में, केरलम सरकार ने तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच सिल्वर लाइन (सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) परियोजना को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है।

केरलम:-

रेल बजट:

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2026-27	₹3,795 करोड़ रुपए (10 गुना से अधिक)

स्वीकृत परियोजनाएं:-

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, केरलम में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 11,650 करोड़ की लागत की 302 कि.मी. लंबाई वाली 09 परियोजनाएँ (03 नई लाइन और 06 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	03	148	0	317
दोहरीकरण/बहुपथन	06	154	40	3,550
कुल	09	302	40	3,867

हाल ही में पूरी की गईं परियोजनाएं:

केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गईं कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	दिंडुक्कल-पालघाट और पोल्लाच्चि-कोयम्बतूर आमान	1,360

	परिवर्तन (217 किलोमीटर)	
2	कोल्लम--तिरूच्चेंदूर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1,122
3	मुलंतुरुत्ती-कुरूप्पनत्तरा दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	303
4	चेंगन्नूर-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	436
5	अम्बलप्पुष़ा-हरिप्पाड दोहरीकरण (18 किलोमीटर)	346
6	कुरूप्पनतरा-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	749

चालू परियोजनाएं:-

केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली कुछ परियोजनाओं, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	अंगमालि - सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	3,801
2	एरणाकुलम - कुम्बलम दोहरीकरण (8 किलोमीटर)	808
3	कुम्बलम - तुरवूर दोहरीकरण (16 किलोमीटर)	1,172
4	त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किलोमीटर)	4,494
5	आलप्पुष़ा - अंबलपपुष़ा दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	324
6	तूरवुर - मारारिक्कुलम दोहरीकरण (21 किलोमीटर)	451
7	मारारिक्कुलम - आलप्पुष़ा दोहरीकरण (11 कि.मी.)	221

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-24, 2024-25, 2025-26 चालू वित्त वर्ष अर्थात 2026-27 में केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 1,138 कि.मी. लंबाई वाले 09 सर्वेक्षणों (02 नई लाइन और 07 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में हुए विलंब के कारण रुका हुआ है। केरलम राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

केरलम में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	618 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	78 हेक्टेयर (13%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	540 हेक्टेयर (87%)

रेलवे ने केरलम सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए 1,976 करोड़ रुपए जमा किए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए केरलम सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	304	25	279
2.	एरणाकुलम - कुम्बलम कहीं-कहीं दोहरीकरण (8 किलोमीटर)	4	3	1
3.	कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किलोमीटर)	10	9	1
4.	षोरणूर - वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	5	0	5

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता केरलम सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व

- **निधियों की समग्र उपलब्धता**

रेल अवसंरचना परियोजनाओं से निम्नलिखित सुविधाओं सहित उस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होता है:

- **देश के अन्य हिस्सों के साथ क्षेत्र का बेहतर एकीकरण**
- **वस्तुओं और सेवाओं की तीव्र आवाजाही**
- **संभार तंत्र दक्षता में सुधार लाना**
- **लाइन क्षमता बढ़ाना**
- **क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना**
- **परिचालन बाधाएं कम करना**
- **क्षेत्र में पर्यटन उद्योग का विकास और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि।**

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
